



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

// किरायेदारी अनुबंध लेख //

DH 964413

श्री मनस्वी व्यास पिता श्री राजेश व्यास

स्थाई निवासी – 96, बालक दास की तल्लैया, विदिशा, म.प्र. 461001
आधार नं. 6255 8817 9876

VOTED AND REGISTERED
Date 23 DEC 2022

Date 8872 25
18/5/10

श्रीमती किरण माहेश्वरी पति श्री पुरुषोत्तम दास माहेश्वरी
निवासी- 34, ओंकार मार्ग, गांधी नगर, इंदौर, म.प्र.
आधार नं. 3234 5031 2205

..... सम्पत्ति मालिक (द्वितीयपक्ष)

यह किराया चिट्ठी का अनुबंध लेख लिख देने वाला किरायेदार प्रथमपक्ष आप संपत्ति मालिक द्वितीयपक्ष के हित में निमानूसार लिख देते हैं ऐसा कि:-

(1) यह कि, द्वितीयपक्ष की मालिक व आधिपत्य का मकान नं. 72/2, कल्याण संपत्ति, इंदौर, म.प्र. 453112 की तल मंजिल पर स्थित है। जिसमें 01 रुम, 01 हॉल, किचन व लेटबाथ निर्मित हैं, को संपत्ति मालिक द्वितीयपक्ष द्वारा किरायेदार प्रथमपक्ष को किराये पर दिया जा रहा है। उक्त स्थान द्वितीयपक्ष से दिनांक 01/04/2025 से निम्नानुसार शर्तों पर प्रथमपक्ष ने किराये से लिया है एवं आज दिनांक को इस लेख की शर्त की अधिन लेखीबद्ध किया जा रहा है। आगे सुविधा की दृष्टि से उक्त किरायेगत मकान को “प्रिमाइसेस शब्द” से संबोधित किया गया है।

ATTESTED

HEMANT KUMAR GANGWAL
ADVOCATE, & NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
572, PANCHAM KEPHAL
MOORE (M.P.)

- (2) यह कि, उक्त प्रिमाइसेस का किराया राशि रूपये 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह के मान से आगामी 11 माह तक के लिये किराये पर लिया है एवं उक्त स्थान का एक माह का रनिंग किराया रूपये 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) एवं डिपाजिट राशि रूपये 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को अदा कर दिये हैं, उक्त स्थान का बिजली का व्यय प्रतिमाह किराया राशि में ही सम्मिलित किया जावेगा।
- (3) यह कि, सदर प्रिमाइसेस को प्रथमपक्ष हमेशा साफ-सुधरा रखेंगे तथा इसमें किसी प्रकार की तोड़-फोड़ का कार्य, परिवर्धन, परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि ऐसा कोई कृत्य प्रथमपक्ष द्वारा किया जाना पाया जावे तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रथमपक्ष की रहेगी।
- (4) यह कि, उक्त प्रिमाइसेस प्रथमपक्ष ने आवासीय उपयोग हेतु किराये पर लिया है। सदर प्रिमाइसेस का प्रथमपक्ष अन्य किसी आशय हेतु उपयोग नहीं करेंगे।
- (5) यह कि, सदर प्रिमाइसेस को प्रथमपक्ष अन्य किसी पोट भाड़े से नहीं देंगे। यदि प्रथमपक्ष ने अन्य किसी को सदर प्रिमाइसेस पोट भाड़े पर दिया तो द्वितीयपक्ष को, प्रथमपक्ष से सदर प्रिमाइसेस खाली करा लेने का पूर्ण अधिकार रहेगा, एवं अन्य किरायेदार को परेशानी न हो ऐसा कोई कार्य किरायेदार द्वारा नहीं किया जावेगा।
- (6) यह कि, उक्त प्रिमाइसेस प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से 11 माह की अवधि हेतु प्राप्त किया है। प्रत्येक 11 माह की अवधि पश्चात किराया राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी एवं नई किराया चिठ्ठी बनवाई जावेगी।
- (7) यह कि, सदर प्रिमाइसेस का किराया प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष को हर माह 01 से 05 तारीख तक नियमित रूप से संपत्ति मालिक द्वितीयपक्ष को अदा किया करेंगे। यदि प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को निरंतर 1 माह तक का किराया अदा नहीं किया तथा प्रथमपक्ष पर किराये की राशि चढ़ गई तो द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष से उक्त प्रिमाइसेस का रिक्त कब्जा/आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- (8) यह कि, प्रथमपक्ष सदर प्रिमाइसेस में किसी प्रकार का अवैध कार्य व व्यवसाय नहीं करेंगे, न ही किसी प्रकार की कानून से प्रतिबंधित वस्तु जैसे—शराब, मादक द्रव्य, चरस, भांग आदि का व्यवसाय करेंगे नहीं ही किसी ज्वलनशील पदार्थ द्रव्य आदि का संग्रह कर सकेंगे। अन्यथा इसकी पूरी जवाबदारी प्रथमपक्ष की होगी।
- (9) यह कि, सदर प्रिमाइसेस खाली करना हुआ तो प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को 01 माह पूर्व लेखी में सूचना पत्र दिये बिना प्रिमाइसेस खाली कर दिया तो द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष से सूचना पत्र की अवधि का किराया प्राप्त करने का अधिकार रहेगा एवं यदि संपत्ति के मालिक को उक्त स्थान की आवश्यकता हुई तो 01 माह पूर्व सूचना पत्र देकर उक्त प्रिमाइसेस प्रथमपक्ष से रिक्त करवा सकेंगे।
- (10) यह कि, सदर प्रिमाइसेस की किरायेदारी की समाप्ति के समय प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष का प्रिमाइसेस खाली कर उसका रिक्त कब्जा जिस अवस्था में द्वितीयपक्ष से प्राप्त किया था उसी अवस्था में द्वितीयपक्ष को वापस सौंप देवेंगे तथा द्वितीयपक्ष से चुकती पावती हासिल करेंगे। साथ ही जमा डिपाजिट राशि द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर सकेंगे।

ATTESTED

H.KUMAR
 HEMANT KUMAR GANGWAL
 ADVOCATE & NOTARY
 GOVERNMENT OF INDIA
 572, PANCHAM KEPHAIL
 INDORE (M.P.)

किं०२०

- (11) यह कि, किरायेदार स्थान में रख-रखाव की जवाबदारी किरायेदार प्रथमपक्ष की रहेगी। उक्त प्रिमाइसेस खाली करते समय प्रथमपक्ष उक्त प्रिमाइसेस इसी स्थिति में द्वितीयपक्ष को सृपूर्द करेंगे।
- (12) यह कि, किरायेदारी वाले स्थान में तथा विद्युत एवं सेनेटरी अब्टी व चालू हालत में लगी हुई है। जिसे किरायेदारी समाप्ति पर किरायेदार द्वारा उसी कंडीशन में वापस लौटाये जावेगे।
- (13) यह कि, उक्त सम्पत्ति की प्रचलित गाईड लाईन 2025-2026 के अनुसार बाजार मूल्य रूपये 10,00,000/- होकर मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से दिनांक 16 सितम्बर 2014 को प्रकाशित भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश सांघन) अध्यादेश 2014 की अनुसृति 1-के लिखतो पर रटाम्प शुल्क क्रमांक 38 (एक) के अनुसार यह लिखित 0.01 प्रतिशत के मान से रूपये 100/- के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया है, इस लिखित पर कमी स्टाम्प के लिये प्रथमपक्ष किरायेदार उत्तरदायी होंगे।
- (14) यह कि, उक्त किरायेदारी की जानकारी संबंधित थाने में संपत्ति मालिक द्वारा दे दी जावेगी। उक्त किरायेदारी में यदि कोई विवाद होता है तो न्यायालय क्षेत्र इन्दौर ही रहेगा। किरायेदार कभी भी, संपत्ति मालिक के रवानित्व को बुनौति नहीं देवेंगे एवं संपत्ति मालिक के द्वारा सूबना देने पर उक्त किरायेदार के द्वारा उक्त स्थान खाली नहीं किया जाता है तो संपत्ति मालिक को अधिकार होगा कि न्यायालयीन कार्यवाही कर उक्त स्थान खाली करवा सकेंगे, जिसमें लगाने वाले रामरत व्यय की जवाबदारी किरायेदार की रहेगी।

अतः यह किराये विठ्ठी का अनुबंध लेख प्रथमपक्ष ने राजी-खुशी से सोच समझकर लिख देकर स्वस्थ्य शारीरिक अवस्था में गवाहो के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित किया सो सही ताकि प्रमाण रहे। वक्त जरूरत काम आवे।

इति, इन्दौर,
दिनांक

गवाह:-

1. हस्ताक्षर 23 DEC 2025

नाम Neevaj Maheshwari

पता Chandh Nagar

(किरायेदार के हस्ताक्षर)

2025

2 हस्ताक्षर

नाम Rovi Bai 81

पता 60 feet Road Indore

(मकान मालिक के हस्ताक्षर)

ATTESTED

Hemant Kumar Gangwani
APPROVING & NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
DILKUSH SE PHAIL
MURSHIDABAD